सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, रामनिवास जाट, आर.ए.एस

अपील संख्याः 76/16 **निर्णय दिनांकः– 09–08–2019**

1. राधादेवी पत्नी बृजलाल जाति ब्राहमण निवासी मेहरासर चाचेरा तहसील सरदारशहर जरिये मु.आम महेश कुमार पुत्र बृजलाल जाति ब्राहमण निवासी हाल चक 14 बीएलडी (ए) तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, खाजुवाला।

–रेस्पोडेन्ट्

अपीलें विरुद्व आदेश दिनांक 19–09–2016
उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला

उपस्थितः–

1. श्री राजेश बैद, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला के आदेश दिनांक 19–09–2016 जिसके माध्यम से अपीलांट की खातेदारी भूमि में से विधि विरूद्व तरीके से रास्ता स्वीकृत किया गया, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट की खातेदारी भूमि चक 14 बीएलडी (ए) के मुरब्बा नम्बर 114/16 में 24 बीघा 10 बिस्वा भूमि स्थित है। जिस पर वर्तमान में मौके पर फसल

खड़ी है। अपीलांट की उक्त खातेदारी भूमि में से किला नम्बर 21 ता 25 में 02—02 बिस्वा रास्ता पहले से ही स्वीकृत किया हुआ है तथा आदेश जैर अपील के माध्यम से पुनः इसी मुरब्बें के किला नम्बर 1, 10, 11, 20 व 21 में से 02—02 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने के आदेश जारी कर दिये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना आदेश जैर अपील के माध्यम से अपीलांट की खातेदारी भूमि में से रास्ता स्वीकृत करने के आदेश प्रदान किये गये है। जबकि ग्रामवासियों को आवागमन हेतु पूर्व में ही अन्य रास्ता उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में उक्त रास्ते की कतई आवश्यकता नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रास्ते के प्रचलित नियमों के विपरीत जाकर रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान किये गये है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में बताया कि अपीलांट की खातेदारी भूमि चक 14 बीएलडी (ए) के मुरब्बा नम्बर 114/16 में 24 बीघा 10 बिस्वा भूमि स्थित है। अपीलांट की उक्त खातेदारी भूमि के किला नम्बर 21 ता 25 में 02—02 बिस्वा रास्ता पहले से ही स्वीकृत किया हुआ है। उक्त स्थिति रिकार्ड में मौजूद होने के उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील के माध्यम से पुनः इसी मुरब्बें के किला नम्बर 1, 10, 11, 20 व 21 में से 02—02 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने में कानूनी त्रूटि कारित की गई है। अपीलांट की खातेदारी भूमि में से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील के माध्यम से रास्ता स्वीकृत करने के आदेश प्रदान किये गये है। उक्त आदेश रास्ते के प्रचलित नियमों के विपरीत पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश प्रसारित करने से पूर्व किसी भी काश्तकार को कोई नोटिस अथवा सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है ना ही कोई सबूत प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान किया गया। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर पारित किया गया आदेश है। ऐसा आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से काबिल खारिज आदेश है।

उन्होंने आगे बताया कि अदालत मातहत ने आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व ना तो कोई रिपोर्ट प्राप्त की गई ना ही पड़ौसियों के कोई बयान लिये गये ना ही रिबिटल में कुछ भी कहने का कोई अवसर प्रदान किया गया। केवल मात्र रास्ता कायम करने के उद्वेश्य मात्र से तमाम कार्यवाही की गई है। नियमानुसार किसी की भी खातेदारी भूमि में से रास्ता कायम किया जाता है तो उस खातेदार को क्षतिपूर्ति दी जानी आवश्यक है क्योंकि उसकी खातेदारी भूमि कम की जा रही होती है। ऐसी स्थिति में खातेदार अर्थात भूमिधारक को आर्थिक नुकसान होता है। ऐसे खातेदारी भूमि पर रास्ता कायम करने से पूर्व खातेदार की सहमति/असहमति लिया जाना आवश्यक है। अदालत मातहत ने कानूनी प्रावधानों को नजरअंदाज करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मौके की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई। यदि वादगत् भूमि के संबंध में मौका रिपोर्ट प्राप्त की जाती है प्रकरण की वास्तविक स्थिति अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत हो जाती है अदालत मातहत द्वारा ऐसा न करके न्याय की पालना नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा बिना किसी आधार के व बिना किसी जॉच के बिना रिकार्ड का अवलोकन किये बिना मौका रिपोर्ट प्राप्त किये आनन—फानन में आदेश जैर अपील पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 8 (2) के तहत कायम पारित करते हुए रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान किये गये है जबकि उक्त धारा वर्ष 2012 में ही विलोपित की जाकर उक्त धारा के स्थान पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए कायम की गई है। ऐसी स्थिति में यदि अपीलांट की खातेदारी भूमि में से रास्ता कायम भी किया जाना था तो ऐसी स्थिति में धारा 251 ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने की दशा में ही आदेश पारित किया जा सकता था। लिहाजा आदेश जैर अपील विधि के प्रावधानों के विपरीत होने से खारिज योग्य आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त किया जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व विधिवत रूप से संबंधित तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त की गई है तथा तहसीलदार द्वारा उक्त रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता की रिपोर्ट के अनुसरण में ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान किये गये है। उक्त आदेश से किसी भी पक्षकार के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना है वरन् ग्रामवासियों को आवागमन हेतु सुविधा ही प्रदान होगी। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जाकर आदेश जैर अपील यथावत बहाल रखा जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रकरण में जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 8 (2) के तहत चक 14 बीएलडी के मुरब्बा नम्बर 114/16 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20 व 21 प्रत्येक में 02—02 बिस्वा भूमि गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये गये है।

इस संबंध में हमने अपीलाधीन आदेश व मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील न्याय आपके द्वारा कैम्प दन्तौर में चार ग्रामवासियों द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तत किये जाने पर कि चक 14 बीएलडी में आवागमन हेतु रास्ता मंजूर करने की दरखावश्त पेश करने पर राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 8 (2) के तहत चक 14 बीएलडी के मुरब्बा नम्बर 114/16 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20 व 21 प्रत्येक में 02—02 बिस्वा रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान किये गये है। आदेश में डीएलसी राशि राजकोष में जमा करवाने का भी उल्लेख है। आदेश में स्पष्ट नहीं किया गया है कि किस कानूनी प्रावधान के तहत प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त आदेश दिया गया है।

प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय है कि अदालत मातहत द्वारा रास्ते जैसे महत्वपूर्ण प्रकरण में जहॉ एक तरफ तो अपीलांट की खातेदारी

भूमि में से रास्ता स्वीकृत किया गया वहीं दूसरी तरफ अपीलांट को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान नहीं करते हुए एकतरफा तौर पर आदेश पारित किया गया है। अभिभाषक अपीलांट प्रस्तुत चक प्लान के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट के पास आवागमन हेतु वकैल्पिक रास्ता पूर्व से ही उपलब्ध होना साबित है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के तहत अन्य खातेदारों के खेत से होकर रास्ता अपनी सुविधा के लिए चाहा गया है, ऐसी स्थिति में अन्य वकैल्पिक रास्ता उपलब्ध होने की दशा में नया रास्ता कायम नहीं किया जा सकता।

धारा 251 ए के तहत मौके की स्थिति, रास्ते की आवश्यकता (absolute nessecity) को ध्यान में रखते हुए रास्ता स्वीकृति के आदेश पारित किये जाने होते है। रास्ते के प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के नियम 69 के तहत उपखण्ड अधिकारी संक्षिप्त जॉच के पश्चात् यह सुनिश्चित करेगा कि उक्त रास्ता आत्याधिक आवश्यक है या नहीं? तथा यह भी कि उक्त रास्ता अन्य खातेदार(प्रत्यर्थी) की जोत में से होकर (विशेषकर जब आवेदन नये रास्तों के लिए हो) पहुॅचने के लिए अन्य कोई साधन नहीं है, तब इस प्रकार रास्तों के मामलों में धारा 251 (ए) के अनुसार उपखण्ड अधिकारी द्वारा **संक्षिप्त जॉच, आत्यांतिक आवश्यकता एवं सुविधा को** जाना महत्वपूर्ण है। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के संबंध में जो रिपोर्ट प्राप्त की गई वह मात्र पटवारी हल्का द्वारा अपीलांट व अन्य पक्षकारों की अनुपस्थिति में एकतरफा तौर पर तैयार किया जाना स्पष्ट है।

हम अपीलांट के इस तर्क से सहमत है कि रास्ते के आवेदन में दूर या नजदीक का प्रश्न नहीं है, वरन् यह देखा जाना चाहिए कि क्या वह युक्तियुक्त, तार्किक, आत्यांतिक आवश्यकता व सुखाचार की शर्तो को पूरा करते है या नहीं? अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत चकप्लान के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादगत् भूमि के आवागमन हेतु रास्ता पूर्व में उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में आवागमन हेतु पूर्व से ही उपलब्ध होने की स्थिति में धारा 251ए के तहत जिसके अनुसार पूर्व में रास्ता उपलब्ध होने की स्थिति में नया रास्ता कायम नहीं किया जा सकता। धारा

251 ए के तहत (absolute nessecity) के आधार पर स्वीकृत किया जाना होता है। अदालत मातहत मौके पर आवागमन हेतु पूर्व से ही अन्य रास्ता उपलब्ध होते हुए भी चक 14 बीएलडी के मुरब्बा नम्बर 114/16 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 में प्रत्येक में 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने के आदेश प्रदान किये है, जो धारा 251ए के प्रावधानों के विपरीत होने से युक्तियुक्त, तर्कसंगत व न्यायसंगत आदेश की परिभाषा में नहीं आता है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला का आदेश दिनांक 19–09–2016 निरस्त किया जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 09–08–2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर